बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक 17.03.2017

संख्या–7/स्था0–05–05/2014सा0प्र0 3251 /एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–10163–10165/2015, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह एवं अन्य से उद्भूत सिविल अपील संख्या (एस0)–9921–9923/2016, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम दयानन्द सिंह इत्यादि साथ में सिविल अपील संख्या–9924/2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.09.2016 को पारित आदेश के आलोक में 28वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–75 दिनांक 22.10.2014 एवं द्वितीय अनुशंसा, पत्रांक–20 दिनांक 01.06.2015 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित शेष सफल अभ्यर्थियों को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली–1955 के नियम–24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर ₹ 27700–770–33090–920–40450–44700/– के वेतनमान में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	संयुक्त मेधा क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं स्थायी पता	कोटि	जन्म तिथि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	14	105222	नम्रता शर्मा, पुत्री–श्री बनवारी लाल शर्मा, विराट मन्दिर, सराय खिरनी, अलीगढ़, जिला–अलीगढ़ (उ0प्र0) पिन–202001	सामान्य श्रेणी	03-10-1981

2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25 (ख) के अनुसार "असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उस अवधि के लिए संदत्त प्रशिक्षण का खर्च एवं परिलब्धियाँ उनसे वसूलनीय होगी।"

6. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्त उक्त अभ्यर्थियों की सेवायें उच्च न्यायालय, पटना को सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17/3/2017

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–05–05/2014सा0प्र0 3251 /पटना–15, दिनांक 17.03.2017

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/3/2017

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–05–05/2014सा0प्र0 3251 /पटना–15, दिनांक 17.03.2017

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि पदभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की उम्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय आदि प्रमाण–पत्रों की जाँच कर संतुष्ट हो लिया जाय। किसी तरह की विसंमति पाये जाने की स्थिति में विभाग को तुरन्त अवगत कराया जाय ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त पदाधिकारी को सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली, 1977 की कंडिका–2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करने का निदेश देने की कृपा की जाय।

17/3/2017

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–05–05/2014सा0प्र0 3251 /पटना–15, दिनांक 17.03.2017

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0 दावा नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार, लोक सेवा आयोग, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यालय, बिहार, पटना से अनुरोध है कि कृपया आयोग के संज्ञान में यह तथ्य लाने की कृपा की जाय कि प्रासंगिक नियुक्ति आयोग के पत्रांक–75 दिनांक 22.10.2014 द्वारा प्राप्त प्रथम अनुशंसा के आलोक में की गयी है।

17/3/2017

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–05–05 / 2014सा0प्र0 ....3251..................... / पटना–15, दिनांक....17.03.2017

प्रतिलिपिः–नवनियुक्त असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को निम्न पत्राचार के पते पर उनके अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधित

नम्रता शर्मा,
पुत्री–श्री बनवारी लाल शर्मा,
विराट मन्दिर, सराय खिरनी, अलीगढ़,
जिला–अलीगढ़ (उ0प्र0)
पिन–202001

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय (तीनों से संबंधित) मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उच्च न्यायालय, पटना में इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान समर्पित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17/3/2017

सरकार के अपर सचिव।

फोटोग्राफ